

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज छत्तीसगढ़

-:::आदेश:::-

बलरामपुर दिनांक २५/०४/२०२१

क्रमांक/ ३४०६.../कले./एस.डब्ल्यू./२०२१ :: कोविड-१९ पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/ ३१९०/कले./एस.डब्ल्यू./२०२१ बलरामपुर दिनांक ११.०४.२०२१ एवं आदेश क्रमांक/ ३३०१/कले./एस.डब्ल्यू./२०२१ बलरामपुर दिनांक १७.०४.२०२१ द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक १४.०४.२०२१ सायं ०६.०० बजे से दिनांक २६.०४.२०२१ तक प्रातः ०६.०० बजे तक लॉकडाउन घोषित करते हुये जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-१९ पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिन्ता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है, जिससे सम्पूर्ण बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रक्रिया सहिता १९७३ की धारा १४४ आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ की धारा ३०, ३४ सहपठित एपिडेमिक एक्ट १९८७ यथासंशोधित २०२० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/ ३१९०/कले./एस.डब्ल्यू./२०२१ बलरामपुर दिनांक ११.०४.२०२१ एवं आदेश क्रमांक/ ३३०१/कले./एस.डब्ल्यू./२०२१ बलरामपुर दिनांक १७.०४.२०२१ में आंशिक संशोधन करते हुये मैं श्याम धावड़, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :-

- ०१— बलरामपुर-रामानुजगंज जिला अन्तर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक ०५.०५.२०२१ रात्रि ११.५९ बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
- ०२— उपरोक्त अवधि में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।
- ०३— उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, किलनिक, पशु चिकित्सालय को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे एवं मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- ०४— सभी प्रकार की मंडियाँ, थोक/फुटकर एवं किराना दुकानें बंद रहेंगे, किन्तु सीधे किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जियों की दुकानों को प्रातः ०६:०० बजे से प्रातः १०:०० बजे तक विक्रय की अनुमति रहेगी। प्रातः ०६:०० बजे से प्रातः १०:०० बजे तक किराना, पोल्ट्री, मटन, मछली, अंडे की आपूर्ति केवल होम-डिलीवरी के माध्यम से की जायेगी। किराना, पोल्ट्री, मटन, मछली, अंडे की दुकानें भौतिक रूप से खुली नहीं रहेंगी और न ही दुकानों में ग्राहकों को बेची जायेंगी। यदि फल, सब्जी, किराना, पोल्ट्री, मटन, मछली, अंडे दुकान संचालक के परिवार का कोई भी सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसे दुकान संचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह प्रतिबंध सभी प्रकार के दुकान संचालकों हेतु लागू एवं मान्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी कड़ाई से निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
- ०५— शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे।
- ०६— पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश-वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र

दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध—वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी¹ वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

- 07— दुग्ध पार्लर व दुग्ध—वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 06:30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध के साथ अन्य व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्ट्रेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
- 08— पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं सायंकाल 05:00 बजे से सायंकाल 06:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
- 09— कृषि खाद, बीज, कृषि यंत्र/उपकरण, कृषि से संबंधित दवाई की दुकानों को प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 11:00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।
- 10— एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियों केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
- 11— औद्योगिक संस्थाओं एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
- 12— उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी।
- 13— सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
- 14— उपरोक्त अवधि में बलरामपुर—रामानुजगंज जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकों को (प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक) केवल शासकीय कार्य/लेन—देन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा खाद्यान्न की राशि जमा करने हेतु, राईस मिल संचालकों द्वारा धान के ई—निलामी हेतु, पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा डीजल/पेट्रोल मंगाने हेतु, गैस एजेंसी संचालकों द्वारा गैस का लोड मंगाने हेतु लेन—देन, ए.टी.एम. कैश रि—फिलिंग हेतु खुलने की अनुमति होगी। किन्तु दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन—देन हेतु आम जनता के लिए बैंक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। तथापि टेलीकॉम एवं रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख—रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्लाइंट पर लोडिंग—अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
- 15— सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- 16— सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।
- 17— कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे—टीकाकरण, कांटेक्ट ड्रेसिंग, एकिटव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार संचालित होते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड हॉस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पुर्वानुसार संचालित रहेंगे।
- 18— अपरिहार्य परिस्थितियों में बलरामपुर—रामानुजगंज जिले से अन्यत्र आने—जाने वाले यात्रियों का ई—पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख—रखाव कार्य


या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा।

- 19— कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथोलॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
- 20— आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टेंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए अन्य वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 21— को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एकिटव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति होगी, किन्तु सभी बैंक/शाखाएँ प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। उक्त अवधि में केवल ₹०८०००००००, कैश री-फिलिंग, मेडिकल इकिवपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल०पी०जी०, पी०डी०एस०/केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिकिवड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत् आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।
- 22— जिले में संचालित जीवन बीमा निगम/पोस्ट ऑफिस की शाखाओं को न्यूनतम स्टाफ के साथ प्रातः 10 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक कार्यालयीन कार्य करने की अनुमति होगी।
- 23— ई-कॉर्मस सेवाओं (अमेजन, पिलपकार्ट आदि) के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत् संचालित रहेगी। स्थानीय दुकानदारों द्वारा ऑनलाईन ऑर्डर प्राप्त कर होम डिलीवरी की अनुमति होगी। कोई भी दुकान/स्टोर भौतिक रूप से खुली नहीं रहेंगी।
- 24— मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फॉम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 25— यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, कार्यालय जिला पंचायत, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), कार्यालय जनपद पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत सेवाएँ जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- 26— भारत सरकार/राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
- 27— उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक हो गया है। फलस्वरूप वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली सभंव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसारितथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

बलरामपुर दिनांक २५/०४/२०२१

पृ.क्र./३५०७/कले./एस.डब्ल्यू./२०२१

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर। सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छ०ग० शासन की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 4- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 5- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 6- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 7- पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 8- पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- 9- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- 10- इंसीडेंट कमांडर सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 11- सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 12- सर्व इंसीडेंट कमांडर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 13- सर्व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 14- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 15- सर्व थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 16- नगर पालिका परिषद/सर्व नगर पंचायत, बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 17- सहायक संचालक, जनसम्पर्क विभाग, बलरामपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ।
- 18- सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)